बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक–01.12.2016 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय भवन के फायर सेफ्टी ऑडिट कराने एवं इसमें अग्निशमन उपकरणों एवं अग्निशमन यंत्रों को लगाने के संबंध में आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

---

1. **उपस्थिति – संलग्न**

2. सर्वप्रथम प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों को स्वागत किया गया। पटना मुख्य सचिवालय भवन के फायर सेफ्टी ऑडिट के दौरान उद्घाटित कई संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में निर्णय लेने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आहूत की गई है। महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा गृहरक्षावाहिनी–सह–अग्निशाम सेवाएँ द्वारा पावर प्वाईंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से महत्वपूर्ण मुद्दों को वरीय पदाधिकारियों के समक्ष विचार–विमर्श एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया –

प्रस्तुतिकरण के प्रमुख बिन्दु

- मुख्य सचिवालय के उन जगहों के चित्र प्रस्तुत किए गए, जो पिछली बैठक दिनांक–30.11.2015 के निर्णय के उपरान्त भी अभी तक अग्नि की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील एवं खतरनाक हैं– पुराने कबाड़, टूटे फूटे फर्नीचर, बिजली के खुले तार एवं फ्यूज, फाईलों के गट्ठर इत्यादि तथा कॉरीडोर में मार्ग को बाधित करते हुए लकड़ी के अलमीरा के चित्र।
- कुछेक विभागों एवं कॉरीडोर में अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं, किन्तु अधिकांश यंत्र खराब एवं बेकार पड़े हुए हैं। इन यंत्रों की अब कोई उपयोगिता नहीं है। अधिकांश विभागों में कोई अग्निशमन यंत्र/उपकरण लगे ही नहीं हैं।
- अग्निसुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए :– कारीडोर की सीढ़ियों को साफ रखा जाए। रद्दी कागजों, पुराने टेबल, कुर्सियों लकडी के अलमीरा का ढेर कारीडोर में नहीं लगाया जाए। बिजली संबंधी स्वीच, तार आदि ISI मार्क के लगाए जाएँ।

बैठक में लिए गए निर्णय एवं मुख्य सचिव का निदेश–

1. प्रस्तुतिकरण के पश्चात मुख्य सचिव द्वारा अग्निशमन निदेशालय को Fire Saftey से संबंधित त्रुटियों को चिन्हित् करने तथा उन्हे प्राथमिकता के आधार पर विभागों से समन्वय कर त्रुटियों के निराकरण कराने का निदेश दिया गया है।
   (अनुपालन अग्निशमन सेवाएं)
2. हाल में हुए अग्निकांड से यह पता चला कि अग्निकांड का एक कारण बिजली के सॉट सर्किट भी है। प्रायः यह पाया जाता है कि कार्यालय के चाभी रखने वाले दरबानों द्वारा रात में बत्ती एवं अन्य बिजली के उपकरणों को बन्द नहीं किया जाता है जिस कारण अग्निकाड की संभावना बनी रहती है।
   मुख्य सचिव द्वारा यह निदेशित किया गया कि कार्यालय खोलने एवं बन्द करने वाले चाभी रखने वाले दरबान को बल्ब, पंखा, ए0सी0 इत्यादि को रात में बन्द करने का प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाय। यदि उनके कार्य में यह शामिल न हो तो इसे भी शामिल किया जाय।

मुख्य सचिव द्वारा यह भी निदेशित किया गया कि प्रत्येक रूम के बाहर एक पावर स्वीच रहे जिसके ऑफ करने से सारा कमरे का पावर ऑफ हो जाय, इस प्रक्रिया से चाभी रखने वाले दरबान को बिजली बन्द करने में सुविधा होगी।

(अनुपालन भवन निर्माण विभाग)

3. बैठक में बिजली के Circuit Breaker के बिन्दु पर भी चर्चा की गई। यह पाया गया है कि अधिकांश Circuit Breaker काम नही करते है। मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया है कि सचिवालय भवनों के Circuit Breaker की जॉच की जाय एवं उनकी त्रुटियों को दूर किया जाय साथ ही जहॉ Circuit Breaker की कमी हो वहॉ पर नए Circuit Breaker क्षमता के अनुसार लगाए जाए।

(अनुपालन भवन निर्माण विभाग)

4. उद्योग विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा बताया गया कि उनके विभाग के आधुनिकीकरण का कार्य BIADA के द्वारा किया गया है। वहां के बिजली के वायरिंग BIADA द्वारा अलग बिजली के लाइन से कराया गया है तथा मुख्य भवन में आपूरित बिजली से यह भिन्न होने के कारण इसमें खराबी आने पर भवन निर्माण विभाग के बिजली से संबंधित कर्मियों के द्वारा ठीक करवाने में कठिनाई उत्पन्न होती है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि सचिवालय के सभी विभागों के बिजली वायरिंग का कार्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा कराया जाय।

(अनुपालन भवन निर्माण विभाग)

5. मुख्य सचिव द्वारा सचिवालय अवस्थित विभागों में कराये जा रहे आधुनिकरण कार्य में वैसे समाग्रीयों का उपयोग करने का निदेश दिया गया जो अग्निरोधक हो।

(अनुपालन, भवन निर्माण विभाग एवं अन्य सभी विभाग)

6. महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं द्वारा बताया गया कि सचिवालय भवनों में Fire Extinguisher को स्थापित करने हेतु नए Fire Extinguisher के क्रय का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा गया है। इस संबंध में वित्त विभाग के प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि वित्त विभाग में Fire Extinguisher लगाया जा चुका है। अतः गृह विभाग को भेजे गए नए Fire Extinguisher के क्रय के प्रस्ताव में वित्त विभाग के लिए Fire Extinguisher का क्रय नहीं किया जाय।

मुख्य सचिव द्वारा उर्पयुक्त प्रस्ताव के आलोक में इन सब Fire Extinguisher को को वित्त विभाग को छोडकर अन्य सभी विभागों में लगवाने के साथ इसका रख–रखाव करने का निदेश अग्निशमन सेवाएं को दिया गया।

(अनुपालन अग्निशमन सेवाएं)

7. मुख्य सचिव द्वारा माहानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं, बिहार पटना के प्रस्ताव के आलोक में सचिवालय भवनों के कर्मियों को अग्नि से बचाव हेतु प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम की तिथि एवं समय एवं स्थान निर्धारण करने का दायित्व आपदा प्रबंधन विभाग को दिया गया। प्रशिक्षण महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं, बिहार पटना के द्वारा दिया जायगा एवं इस हेतु आवश्यक व्यवस्था आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा कराया जायगा।

(अनुपालन अग्निशमन सेवाएं एवं आपदा प्रबंधन विभाग)

8. बैठक में पुराने बिजली के तारों को बदलने के संबंध में भी विमर्श किया गया। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा निर्णय दिया गया कि बारी–बारी से भवन की तार बदली किया जाय।

(अनुपालन भवन निर्माण विभाग)

9. महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं द्वारा बताया गया कि सचिवालय भवनों के गेट अग्निशमन गाड़ियों के लिए उपयुक्त नहीं है इसे और चौड़ी किए जाने की आवश्यकता है।
मुख्य सचिव द्वारा गेट चौड़ी करवाने का निदेश भवन निर्माण विभाग को दिया गया।

10. बैठक में गाड़ी पार्किंग के संबंध में भी विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि बेहतर पार्किंग का निर्माण भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया जाय।

(अनुपालन भवन निर्माण विभाग)

11. यह भी निर्णय लिया गया कि आपदा के समय Evacuation Map भी तैयार किया जाय तथा इसका प्रदर्शन सचिवालय भवनों के मुख्य स्थानों पर किया जाय।

(अनुपालन अग्निशमन सेवाएं)

12. मुख्य सचिव द्वारा भवन निर्माण विभाग को यह भी निदेश दिया गया कि सचिवालय भवनों अवस्थित गलियारों में जिन–जिन विभागों के द्वारा अपना पुराना तथा टुटा–फुटा फर्निचर/उपस्कर/संचिका इत्यादि नहीं हटाया गया है, उन सामग्रियों को दिनांक–10.12.2016 के बाद हटवा कर निलामी की कार्रवाई करेगें। जिन विभागों के द्वारा गलियारों में रखी सामग्रियों को नहीं हटाया जाता है तो इस हेतु संबंधित विभाग के सचिव/प्रधान सचिव जिम्मेवार होगे।

(अनुपालन सभी विभाग)

अगली बैठक में अनुपालन प्रतिवेदन के साथ सभी विभाग को आने का निदेश दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

ह0/–
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव
बिहार

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–27/2015...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–27/2015...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/ऊर्जा विभाग/महानिदेशक–सह–समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा तथा पुलिस महानिदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–27/2015...4070.../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 8/12/16

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त बिहार के प्रधान आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग को (अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ प्रेषित।

8/12/16
संयुक्त सचिव